मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल/06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 219] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 1 मई 2007—वैशाख 11, शक 1929

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 मई 2007

क्र. 2713-140-इक्कीस-अ-(प्रा).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 1 मई, 2007 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है. एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, उपसचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १३ सन् २००७.

मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन संशोधन अधिनियम, २००७.

[दिनांक १ मई, २००७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई ; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १ मई, २००७ को प्रथमवार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन अधिनियम, १९९१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. १. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन संशोधन अधिनियम, २००७ है.

(२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

धारा ३ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन अधिनियम, १९९१ (क्रमांक १४ सन् १९९१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ के खण्ड (ख) में, उपखण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(एक) राज्य में के प्रत्येक नगरपालिक निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए एक नगर स्तरीय समिति;".

अनुसूची का स्थापन. ३. मूल अधिनियम की अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"अनुसूची

[धारा २ (१) (क) देखिए]

१. मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग का स्वरोजगार कार्यक्रम.

२. भूमिहीन, सीमांत तथा लघु कृषकों के लिए विशेषत: अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पशुपालन कार्यक्रम का ग्रामोद्योग के रूप में विकास.

३. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वनग्रामों में अधोसंरचना एवं वानिकी का विकास.

४. अधिक्रमित वनभूमि का नियमानुसार व्यवस्थापन.

५. कुटीर उद्योगों और ग्रामोद्योगों का विकास.

६. दीनदयाल अंत्योदय मिशन वर्ष २००६.

७. मत्स्य पालन का प्रसार.

८. अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण कार्यक्रम.

९. अनुसूचित जातियों के लिए कल्याण कार्यक्रम.

१०. शिक्षा कार्यक्रम का सर्वव्यापीकरण.

११. ग्रामीण आवासों तथा स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम का क्रियान्वयन.

१२. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन समस्त ग्रामों तथा घरों का विद्युतीकरण.

१३. लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम.

१४. संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन.

१५. चिकित्सा गारंटी स्कीम.

१६. महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम.

१७. ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच मार्गों के निर्माण का कार्यक्रम.

१८. ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना की कमियों (इन्फ्रास्ट्रक्चर गेप्स) को दूर करने का कार्यक्रम.".

भोपाल, दिनांक 1 मई 2007

क्र. 2714-140-इक्कीस-अ-(प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन संशोधन अधिनियम, 2007 (क्रमांक 13 सन् 2007) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, उपसचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 13 OF 2007.

THE MADHYA PRADESH (LOK ABHIKARANON KE MADHYAM SE) DINDAYAL ANTYODAY KARYAKRAM KA KARYANVAYAN SANSHODHAN ADHINIYAM, 2007

[Received the assent of the Governor on the 1st May, 2007; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 1st May, 2007.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh (Lok Abhikaranon Ke Madhyam Se) Dindayal Antyoday Karyakram Ka Karyanvayan Adhiniyam, 1991.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty-Eighth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh (Lok Abhikaranon Ke Madhyam Se) Dindayal Antyoday Karyakram Ka Karyanvayan Sanshodhan Adhiniyam, 2007. **Short title and commencement.**

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

Amendment of Section 3.

2. In Section 3 of the Madhya Pradesh (Lok Abhikaranon Ke Madhyam Se) Dindayal Antyoday Karyakram Ka Karyanvayan Adhiniyam, 1991 (No. 14 of 1991) (hereinafter referred to as the principal Act), in clause (b), for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

"(i) a Town Level Committee for every Municipal Corporation, Municipality, Nagar Panchayat and Special Area Development Authority in the State;".

Substitution of Schedule.

3. For Schedule to the Principal Act, the following Schedule shall be Substituted, namely:—

"SCHEDULE
[See section 2 (1) (a)]

1. Self employment programme of the Commerce, Industry and Employment Department, Government of Madhya Pradesh.
2. Development of animal husbandry programme as a village industry for landless, marginal and small farmers specially from the Schedule Castes and the Scheduled Tribes.
3. Development of Infrastructure and forestry in forest villages to provide employment to the Scheduled Tribes, the Scheduled Castes and economically weaker sections.
4. Settlement of forest land under encroachment as per rules.
5. Development of cottage and village industries.
6. Dindayal Antyoday Mission, year 2006.
7. Dissemination of Fisheries.
8. Welfare programmes for the Scheduled Tribes.
9. Welfare programmes for the Scheduled Castes.
10. Universalization of education programme.
11. Drinking water provision in rural habitation and Schools and implementation of sanitation programme in rural areas.
12. Electrification of all villages and houses under the Rajiv Gandhi Grameen Vidyuktikaran Yojana.
13. Programmes of public health and family welfare.
14. Encouragement to institutional delivery.
15. Medical guarantee scheme.
16. Women and child development programmes.
17. Programme for the construction of approach roads in the rural areas.
18. Programme to remove infrastructure gaps in rural areas.".

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.